

18 ⁴/₂₃

पत्रा. पेश हुई। वकील आर्षी हाजिर नहीं आये।
वकील आर्षी को कायलिय समय में बार-बार
आवाजे लगाई गई। आवाजे लगाने के बावजूद
वकील आर्षी हाजिर नहीं आये।



अतः पत्रावली अदम्य पेरवी अदम्य
हाजिरी में 21 नंबर पर खारिज की जाती है।
पत्रावली फ़ैसला-शुमार होकर दाखिल दफ्तर है।
आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गा
'अतिरिक्त जिला कलक्टर
सुरतगढ़ (श्री गंगानगर)

